दिल्ली जल बोर्ड
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली

दिल्ली जल बोर्ड की दिनांक 21 जनवरी, 1999 को प्रातः 9.30 बजे दिल्ली जल बोर्ड के सभाकक्ष वरूणालय फेज–2 में हुई सत्तरहवीं बैठक का कार्यवृत्त ।

उपस्थित

1.	श्रीमती शीला दीक्षित, मुख्यमंत्री, दिल्ली	अध्यक्ष
2.	श्री बालेश्वर राय, मुख्य कार्यकारी अधिकारी	सदस्य, दि.ज.बोर्ड
3.	श्रीमती रोशनी बंसल, सदस्य, दिल्ली नगर निगम	–तदैव–
4.	श्री आर.सी.वर्मा, सदस्य, दिल्ली नगर निगम	–तदैव–
5.	श्री विनोद दुग्गल, आयुक्त, दिल्ली नगर निगम	पदेन सदस्य
6.	श्री छन्नु मल, सदस्य, दिल्ली छावनी	सदस्य
7.	सुश्री गनक जुनेजा, सदस्य (प्रशासन)	–तदैव–
8.	श्री एस.सी.एस.गोपालाकृष्नन, सदस्य (वित्त)	तदैव

दिल्ली जल बोर्ड की दिनांक 21 अक्टूबर, 1998 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई और हस्ताक्षर किये गये ।

संकल्प संख्या 151

मद संख्या 152 बलजीत नगर कालोनी (करोल बाग क्षेत्र) में इनलेट फीडर सहित भूमिगत जलाशय एवं बूस्टर पम्पिंग स्टेशन का निर्माण ।

मुख्य अभियंता (सी) प्रथम के पत्र क्रमांक तक./98/100 दिनांक 26.10.98 में दिए गए प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात् उपरोक्त कार्य के लिए अनुमानित लागत 385.70 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई ।

संकल्प संख्या 152

मद संख्या 153 श्रम कल्याण अधिकारी (जल) के पद पर श्री के.के. शर्मा की तदर्थ नियुक्ति को जारी रखना ।

निदेशक (प्रशासनिक एवं कार्मिक) के पत्र क्रमांक प्रशा./98/52 दिनांक 26.10.98 में दिए गए प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात् श्री के.के. शर्मा, श्रम कल्याण अधिकारी के पद पर तदर्थ नियुक्ति को 8.9.98 से एक वर्ष के लिए अथवा भर्ती विनियम की अधिसूचना के पश्चात् पद को नियमित आधार पर भरे जाने तक, जो भी पूर्व हो, जारी रखने की स्वीकृति दी गई ।

क्र0५0३0

संकल्प संख्या 153

मद संख्या 154 मदूरी स्थित विश्राम गृह (हॉली डे होम) के लिए केयरटेकर के पद को जारी रखना ।

निदेशक (प्रशा. एवं कार्मिक) के पत्र क्रमांक प्रशा./98/53 दिनांक 26.10.98 में दिए गए प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात् मदूरी स्थित विश्राम गृह के लिए रूपये 4000–6000 के वेतनमान + रूपये 700/– प्रतिमाह का विशेष भत्ता + रूपये 15/– प्रतिमाह धुलाई भत्ता व अन्य भत्तों सहित केयरटेकर के एक पद को दिनांक 9.9.98 से एक वर्ष के लिए जारी रखने की स्वीकृति दी गई ।

संकल्प संख्या 154

मद संख्या 155 सरस्वती/विहार के निकट बैंक विहार के सामने 42" व्यास की बैठी हुई सीवर लाईन के मरम्मत का कार्य ।

मुख्य अभियंता (सी) द्वितीय के पत्र क्रमांक तक./98/101 दिनांक 26.10.98 में दिए गए प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात् दोबारा निविदा आमंत्रित करने के लिए वापिस किया गया ।

संकल्प संख्या 155

मद संख्या 156 शाहदरा में घोंडा बरसाती पानी के पम्पिंग स्टेशन सेयमुना नदी तक 500 मि0 मी0 व्यास की सी. आई. राइजिंग मेन को बिछाना और जोड़ना ।

मुख्य अभियंता (सिविल) चतुर्थ के पत्र क्रमांक तक./99/117 दिनांक 6.1.99 में दिए गए प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात् उपरोक्त कार्य के लिए अनुमानित लागत रूपये 57.89 लाख के अनुमान को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई । यह भी संकल्प किया गया कि अगली बैठक में विभाग द्वारा सर्विस चार्ज के विषय में नीति निर्धारण हेतु प्रस्ताव लाया जाए ।

संकल्प संख्या 156

मद संख्या 157 गीत नगर शाहदरा उत्तरी क्षेत्र में पानी की पाईप लाईन को प्रदान करना, बिछाना एवं जोडना ।

मुख्य अभियंता (सी) प्रथम के पत्र क्रमांक तक/98/103 दिनांक 26.10.98 में दिए गए प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात् उपरोक्त कार्य के लिए रू0 45,15,498/– के अनुमान को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई ।

संकल्प संख्या 157

मद संख्या 158 कोण्डली संयंत्र के लिए सुरक्षा कर्मियों के पदों को जारी रखना ।

निदेशक (प्रशा. एवं कार्मिक) के पत्र क्रमांक प्रशा./98/54 दिनांक 26.10.98 में दिए गए प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात् कोण्डली संयंत्र के लिए 1 सहायक सुरक्षा अधिकारी, 4 मुख्य सुरक्षा गार्ड व 28 सुरक्षा गार्ड के पदों को 1.4.98 से 31.3.99 तक एक और वर्ष के लिए जारी रखने की स्वीकृति दी गई ।

संकल्प संख्या 158

मद संख्या 159 चित्तरंजन पार्क नई दिल्ली में 4 लाख गैलन क्षमता के भूमिगत जलाशय एवं बूस्टर पम्पिंग स्टेशन का निर्माण ।

मुख्य अभियंता (सी) तृतीय के पत्र क्रमांक तक./98/104 दिनांक 26.10.98 में दिए गए प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात् उपरोक्त कार्य को मै0 ए0 पी0 कन्सट्रक्शंस के पक्ष में निविदा राशि रूपये 55,77,587.06 पर 7.78 प्रतिशत अधिक की दर से कुल राशि रूपये 60,11,523.33 पर आवंटित करने की स्वीकृति दी गई ।

संकल्प संख्या 159

मद संख्या 160 केशोपुर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पर बाई पास व्यवस्था बनाने का संशोधित अनुमान की स्वीकृति हेतु ।

मुख्य अभियंता (सी) द्वितीय के पत्र क्रमांक तक./98/105 दिनांक 30.10.98 में दिए गए प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात् उपरोक्त कार्य के संशोधित अनुमानित राशि रूपये 55,95,227/- की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई । साथ ही - मैसर्स तिरूपति सीमेंट प्रोडक्ट्स को संशोधित कीमत रूपये 42,95,894.44 पर 9.9% अधिक राशि तथा 01% छूट पर की अदायगी तथा लागत राशि रूपये 46,73,969.00 पर भुगतान की स्वीकृति दी गई ।

संकल्प संख्या 160

मद संख्या 161 15 मि.मी. व्यास के जल मीटरों की आपूर्ति हेतु ।

मुख्य अभियंता (सी) प्रथम के पत्र क्रमांक तक./98/106 दिनांक 9.11.98 में दिए गए प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात् 15 मि. मी. व्यास के 1,20,000 जल मीटरों की खरीद के लिए रूपये 6,41,47,200.00 के अनुमान को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई ।

संकल्प संख्या 161

मद संख्या 162 शहरी योजना में ढांचागत विकास के मामलों में मुख्यमंत्री के सलाहकार की नियुक्ति।

निदेशक प्रशा. एवं कार्मिक के पत्र क्रमांक प्रशा./98/55 दिनांक 9.11.98 में दिए गए प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात् श्री आर.जी. गुप्ता की नियुक्ति के आदेश निरस्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई । यह भी संकल्प किया गया कि जब तक उन्होने दिल्ली जल बोर्ड में कार्य किया उस का भुगतान सेवा शर्तो के आधार पर कर दिया जाए ।

संकल्प संख्या 162

मद संख्या 163 दिनांक 1.1.89 से 31.12.90 की अवधि में सी.एस.ई. पक्ष में नियुक्त मस्टर रोल कर्मचारियों को नियमित करने के लिए बेलदारों/सीवर मैन बेलदारों/सफाई कर्मचारियों आदि के पदों का सृजन ।

निदेशक (प्रशा. एवं कार्मिक) के पत्र क्रमांक प्रशा./98/56 दिनांक 30.11.98 में दिए गए प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात् निम्नलिखित संकल्प किए गए:-

क) तत्कालीन दि.ज.प्र. एवं मल व्ययन संस्थान द्वारा 1.1.89 और 31.12.90 की अवधि में सी.एस.ई पक्ष के लिए नियुक्त के लिए दिनांक 1.4.95 से रू0 750-940 के पूर्व/ वेतनमान में/ दिनांक 1.1.96 से रू0 2550-3200 के संशोधित वेतनमान में बेलदारों/सीवर गैंग बेलदारों/ सफाईकर्मचारियों के 670 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई ।

ख) नियमित किए जानें के कारण पूर्व प्रभावी तिथि 1.4.95 से 31.3.98 की अवधि के पिछले बकाये के भुगतान की स्वीकृति दी गई ।

ग) चरणबद्ध कार्यक्रम (1989-90) के अन्तर्गत नियमित सभी 670 मस्टर रोल कर्मचारियों की सेवाओं को उनके पदों सहित दिनांक 1.4.98 से दिल्ली नगर निगम को सौंपे जाने की स्वीकृति दी गई ।

संकल्प संख्या 163

मद संख्या 164 वजीराबाद जल संयंत्र/ पर दो ट्रांसफारमर और एल.टी. स्विच गियर बोर्ड की आपूर्ति, स्थापना, चालू और परीक्षण । (स्थित पुराने – इन्टेक" संयंत्र)

मुख्य अभियंता (वाटर वर्क्स) के पत्र क्रमांक तक/98/107 दिनांक 30.11.98 में दिए गए प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात् उपरोक्त कार्य के लिए रूपये 38,76,941/- के अनुमान को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई । यह भी व्यक्त किया गया कि भविष्य में ऐसे प्रस्तावों में टेस्ट रिर्पोट तथा पूर्व में किए गए रखरखाव पर खर्च आदि का भी उल्लेख किया जाए ताकि पूरे विषय को समझने में सहूलियत हो सके ।

संकल्प संख्या 164

मद संख्या 165 शादीपुर, करोल बाग क्षेत्र में एक मिलियन गैलन क्षमता के अतिरिक्त जलाशय का निर्माण ।

मुख्य अभियंता (सी) तृतीय के पत्र क्रमांक तक./98/108 दिनांक 30.11.98 में दिए गए प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात् उपरोक्त कार्य रूपये 63,55,373.78 की निविदा राशि से 11.98% अधिक की दर पर रूपये 71,16,747.56 की कुल लागत पर श्री हरिन्दर सिंह को आवंटित करने की स्वीकृति दी गई ।

संकल्प संख्या 165

मद संख्या 166 1600 मि. मी. व्यास की हैदरपुरी पम्प हाउस में बैठी हुई ट्रंक सीवर लाईन की मरम्मत का कार्य ।

मुख्य अभियंता (सी) द्वितीय के पत्र क्रमांक तक./98/109 दिनांक 30.11.98 में दिए गए प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात् उपरोक्त कार्य के लिए रूपये 31,09,112.00 की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई ।

संकल्प संख्या 166

मद संख्या 167 सोलमपुर फेज-3 तथा 4 पुर्नवास कालोनी, शाहदरा में सीवर लाईन की व्यवस्था और बिछाना ।

मुख्य अभियंता (सी) चतुर्थ के पत्र क्रमांक तक./98/110 दिनांक 30.11.98 में दिए गए प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात् उपरोक्त कार्य के लिए रूपये 163.29 लाख के अनुमान को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई ।

संकल्प संख्या 167

मद संख्या 168 अधीक्षण अभियन्ता (एस.डी.डब्लयू)III द्वारा माह मई 1998 में किए गए कार्य/सप्लाई सूची 1.00 लाख से 25.00 लाख की लागत तक ।

मुख्य अभियंता (एस.डी.डब्लयू) के पत्र क्रमांक तक./98/111 दिनांक 30.11.98 द्वारा भेजी गई 1.00 लाख से अधिक व 25.00 लाख से कम लागत की कार्य सूची जो अधिक्षण अभियंता (एस.डी.डब्लयू)III द्वारा मई 1998 में कराये गए को सूचीबद्ध किया गया ।

संकल्प संख्या 168

मद संख्या 169 अधिक्षण अभियंता (एस.डी.डब्लयू)II द्वारा माह सितम्बर 1998 में किए गए कार्य/सप्लाई सूची 1.00 लाख से 25.00 लाख की लागत तक ।

मुख्य अभियंता (एस.डी.डब्लयू.) के पत्र क्रमांक तक./98/112 दिनांक 30.11.98 द्वारा भेजी गई 1.00 लाख से 25.00 लाख की लागत की कार्य सूची जो अधिक्षण अभियंता (एस.डी.डब्लयू) II द्वारा सितम्बर 1998 में कराये गये, को सूचीबद्ध किया गया ।

संकल्प संख्या 169

मद संख्या 170 अधिक्षण अभियंता (एस.डी.डब्लयू)III द्वारा माह अप्रैल 1998 में किए गए कार्य/सप्लाई सूची 1.00 लाख से 25.00 लाख की लागत तक ।

मुख्य अभियंता (एस.डी.डब्लयू) के पत्र क्रमांक तक./98/113 दिनांक 18.12.98 द्वारा भेजी गई 1.00 लाख से 25.00 लाख लागत की कार्य सूची जो अधिक्षण अभियंता (एस.डी.डब्लयू)III द्वारा अप्रैल 1998 में कराये गये को सूचीबद्ध किया गया ।

संकल्प संख्या 170

मद संख्या 171 18000 मी. टन ओ.पी. सीमेंट की खरीद हेतु ।

मुख्य अभियंता(सी) तृतीय के पत्र क्रमांक तक./98/114 दिनांक 18.12.98 में दिए गये प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात निविदाकर्ता से दोबारा बातचीत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए वापस किया ।

संकल्प संख्या 171

मद संख्या 172 दिल्ली जल बोर्ड में रू0 12000-16500 के वेतनमान में अधीक्षण अभियंता (सिविल) के पद पर तदर्थ पदोन्नति की स्वीकृति/जारी रखना ।

निदेशक (प्रशासनिक एवम् कार्मिक) के पत्र क्रमांक प्रशा0/98/57 दिनांक 18.12.98 में दिए गये प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात् उपरोक्त पत्र में वर्णित 11 अधिकारियों की तदर्थ पदोन्नति की अवधि 31.3.99 तक बढाने की स्वीकृति दी गई । श्री चेतन मल जो इस समय अधीक्षण अभियंता (सिविल) के पद पर "करन्ट ड्यूटी" चार्ज के आधार पर कार्यरत है को तुरन्त प्रभावी तिथि से दिनांक 31.3.99 तक तदर्थ आधार पर पदोन्नति की स्वीकृति प्रदान की । यह भी संकल्प किया गया की श्री चेतन मल को अधीक्षण अभियंता के पद पर तदर्थ आधार पर पदोन्नति की जाने की तिथि तक को मध्यवर्ती अवधि तक क्रम संख्या 12 पर स्थित श्री ऐ. के. वर्मा की अधीक्षण अभियंता (सिविल) के पद पर तदर्थ आधार पर पदोन्नति जारी रखने और उसके बाद श्री वर्मा को करन्ट ड्यूटी चार्ज आधार पर अधीक्षण अभियंता माने जाने को स्वीकृति दी जाती है ।

कृ.प.उ.

संकल्प संख्या 172

मद संख्या 173 गोपनीय । (अलग से वितरित)

संकल्प संख्या 173

मद संख्या 174 दिल्ली जल बोर्ड में मुख्य अभियंता (सिविल) और मुख्य अभियंता (वि.एवं यां.) के पद के लिए भर्ती नियमों में संशोधन ।

निदेशक (प्रशा. एवं. कार्मिक) के पत्र क्रमांक प्रशा./98/59 दिनांक 18.12.98 में दिए गये प्रस्ताव में विचार करने के पश्चात् मुख्य अभियंता (सिविल) और मुख्य अभियंता (वि. एवं. या.) के विधमान अधिसूचित भर्ती नियमों की अनुसूची में वर्णित कालम संख्या 2,3,4,5,9,11,12 और 13 में संलग्नक 6 और 7 में दिए गये विवरण के अनुसार संशोधित किये जाने की स्वीकृति दी गई ।

संकल्प संख्या 174

मद संख्या 175 दिल्ली जल बोर्ड में रू0 10,000--15,200 के वेतनमान में अधिशासी अभियंता (सिविल) के पद पर तदर्थ पदोन्नति को जारी रखना ।

निदेशक (प्रशा. एवं. कार्मिक) के पत्र क्रमांक प्रशा./98/60 दिनांक 18.12.98 में दिए गये प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात् उपरोक्त पत्र में वर्णित अधिकारियों की तदर्थ नियुक्ति को दिनांक 31.3.99 तक अथवा इस पदों को सं.लो.से.आ. द्वारा नियमित आधार पर भरे जाने तक जो भी पहले हो तक जारी रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

संकल्प संख्या 175

मद संख्या 176 दिल्ली जल बोर्ड में मुख्या अभियंता (वि. एवं यां.) के पद को भरना ।

निदेशक (प्रशा. एवं. कार्मिक) के पत्र क्रमांक प्रशा./98/61 दिनांक 30.12.98 में दिए गए प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात् श्री के.सी. जैन को मुख्य अभियंता (वि. एवं या.) के पद पर तदर्थ पदोन्नति को दिनांक 31.3.99 तक जारी रखने की स्वीकृति दी गई ।

संकल्प संख्या 176

मद संख्या 177 दिल्ली जल बोर्ड में उप–निदेशक राजस्व (जल)/सहायक आयुक्त (जल) के पद पर तदर्थ पदोन्नति ।

निदेशक (प्रशा. एवं कार्मिक) के पत्र क्रमांक प्रशा./99/62 दिनांक 4.1.99 में दिए गए प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात् पत्र में वर्णित 11 अधिकारियों को सहायक आयुक्त/उप–निदेशक राजस्व(जल) के पद पर तदर्थ पदोन्नति की कार्य–पश्चात् स्वीकृति (एक्स–पोस्ट–फैक्टो एप्रूवल) की स्वीकृति दी गई ।

संकल्प संख्या 177

मद संख्या178 मुरादनगर से गोकुलपुरी तक पाईप द्वारा कच्चे जल की आपूर्ति हेतु वर्ष 1998--99 के रखरखाव का अनुमानित प्राक्कलन ।

मुख्य अभियंता (सी) तृतीय के पत्र क्रमांक तक./98/115 दिनांक 30.12.98 में दिए गए प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात् उपरोक्त कार्य के रखरखाव की अनुमानित लागत रूपये 76.305 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई । जल निगम को पूर्व में भुगतान की गई अग्रिम राशि रूपये 20 लाख स्वीकृत धन से समायोजन की स्वीकृति दी गई ।

संकल्प संख्या 178

मद संख्या 179 बसन्त कुंज में 25 नलकूप 125 मीटर गहरे लगवाने हेतु ।

मुख्य अभियंता (सी) प्रथम के पत्र क्रमांक तक./99/116 दिनांक 4.1.99 में दिए गए प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात् उपरोक्त कार्य को मै0 कावेरी बोरवैल्स (प्रा.) लि. को अनुमानित राशि से 17% अधिक दर पर जिसकी कुल राशि रूपये 1,07,67,422/- आवंटित करने की स्वीकृति इस शर्त पर दी गई कि केन्द्रीय भूजल बोर्ड की अनापत्ति प्राप्त करने के पश्चात् ही कार्यादेश दिए जाएँ ।

संकल्प संख्या 179

मद संख्या 180 दिल्ली जल बोर्ड के नरेला, बवाना, महरौली, कंझावला, नांगलोई और नजफगढ़ स्थित जल एवं अवजल उपचार संयत्रो पर 6 औषधालय खोलने और इन औषधालयों के लिए सामान्य डयूटी प्रभारी चिकित्सा अधिकारी (जी.डी.एम.ओ. आई) - ग्रेड-।। और चिकित्सा कर्मियों के पदों का सृजन ।

निदेशक (प्रशा. एवं कार्मिक) के पत्र क्रमांक प्रशा./99/63 दिनाक 6.1.99 में दिए गए प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात् उपरोक्त पत्र में वर्णित पदों का सृजन व पदों पर नियमित नियुक्ति किए जाने तक इन पदों को पत्र में दिए गए विवरण के अनुसार एक नियत संकलित वेतन पर अंशकालीन नियुक्ति के आधार पर भरे जाने की स्वीकृति दी गई ।

संकल्प संख्या 180

मद संख्या 181 विश्व बैंक सहायता के अन्तर्गत परियोजना तैयार करने हेतु परामर्श सेवा के लिए सन्दर्भ की शर्ते ।

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पत्र क्रमांक प्रशा./99/65 दिनांक 15.1.99 में दी गई उपरोक्त विषय पर सूचना से बोर्ड को अवगत कराया और सूचीबद्ध करने की स्वीकृति दी गई । यह भी निर्देश दिया गया कि विषय से पूर्ण रूप से अवगत होने के लिए विश्व बैंक की योजना पर चर्चा एक विशेष बैठक के माध्यम से आयोजित की जाए ।

संकल्प संख्या 181

मद संख्या 182 गोपनीय । (अलग से वितरित)

कार्यवृत की पुष्टि की आशा में सभा में लिए गए संकल्पों पर कार्यवाही के आदेश दिए गए ।

अन्य विषयों पर निम्न प्रकार से चर्चा हुई ।

1. मुख्य अभियंता(जल), श्री ए.के. गुप्ता ने आश्वासन दिया कि किसी प्रकार की आकस्मिक दुर्घटना एवं रिसाव से निपटने के लिए आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित वाहनों की व्यवस्था अप्रैल,99 के अन्त तक कर ली जाएगी ।

2. गहरे हैण्डपम्प लगाने के बोर्ड के संकल्प पर समीक्षा करते हुए श्री जी.सी.नन्दवानी, मुख्य अभियंता ने बोर्ड को बताया कि अब तक लगभग 678 हैण्डपम्प लगा दिए गए है, मार्च 1999 के अन्त तक 1500 व अप्रैल 1999 के अन्त तक 2000 हैण्डपम्प लगा दिए जायेंगे ।

3. श्री वर्मा ने पिछली बैठकों में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्यवाही की रिपोर्ट के विषय में पूछताछ की । अगली बैठक में अब तक की गई कार्यवाही की जानकारी देने का आश्वासन मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा दिया गया ।

सचिव

अध्यक्ष

गोपनीय

संकल्प संख्या 172

मद संख्या 173 श्री एल.सी.अग्रवाल, अधिशासी अभियंता (सेवा निवृत्त) और श्री श्रवण कुमार, कनिष्ठ अभियंता (सिविल) के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही ।

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पत्र क्रमांक प्रशा./98/58 दिनांक 16.12.98 में दिए गए प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात् और एफ.आर.-54(बी) के नीचे 3 पर दिए गए प्रशासनिक अनुदेशों के आधार पर श्री एल.सी. अग्रवाल, अधिशासी अभियंता (सेवा निवृत्त) तथा श्री श्रवण कुमार, कनिष्ठ अभियंता (सिविल) की मुअत्तली की अवधि क्रमशः दिनांक 21.3.94 से 30.4.94 व 21.3.94 से 30.11.94 को पूर्ण वेतन और भत्तों सहित कार्य पर बिताई गई अवधि माने जाने की स्वीकृति दी गई । यह भी संकल्प किया गया कि उपरोक्त प्रस्ताव और संलग्नक को "गोपनीय दस्तावेज" के रूप में वर्गीकृत करने और इसकी प्रतिलिपि दिल्ली जल बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के स्पष्ट आदेशों के बिना किसी को भी उपलब्ध न कराये जाने की स्वीकृति दी गई ।

संकल्प संख्या 181

मद संख्या 182 श्री एस.सी. चोपड़ा विधि अधिकारी (सेवा निवृत्त) के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही ।

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पत्र क्रमांक सतर्कता/वि.अ.-1/98/64 दिनांक-14.1.99 में दिए गए प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात् यह संकल्प किया गया कि श्री एस.सी. चोपड़ा, विधि अधिकारी (सेवा निवृत्त) के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही के मामले में श्री गीता राम के स्थान पर श्री आर.के.बजाज, आयुक्त, विभागीय जांच, को जांच अधिकारी के रूप में नियुक्ति की स्वीकृति दी जाती है । यह भी संकल्प किया जाता है कि प्रस्ताव एवं इसके संलग्नक को गोपनीय दस्तावेजों के रूप में वर्गीकृत करने और इसकी प्रतियों को मुख्य कार्यकारी अधिकारी के स्पष्ट आदेशों के बिना किसी को भी उपलब्ध न कराये जाने की स्वीकृति दी जाती है ।

सचिव अध्यक्ष